



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 23.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया वाँछित अभियुक्त



आज दिनाँक 23.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 श्रीनगर संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत **मु.अ.सं. 64/21 धारा 452/308/304 भादवि** में वाँछित 02 नफर अभियुक्त **1. बाबूलाल अहिरवार पुत्र नथुवा अहिरवार उम्र 55 वर्ष 2. बृजकिशोर पुत्र श्रीकान्त अहिरवार उम्र 22 वर्ष**, निवासीगण ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जिला महोबा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. बाबूलाल अहिरवार पुत्र नथुवा अहिरवार उम्र 55 वर्ष
2. बृजकिशोर पुत्र श्रीकान्त अहिरवार उम्र 22 वर्ष
निवासी गण ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जिला महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी
2. हे0का0 रामेन्द्र सिंह
3. हे0का0 रमेश सिंह
4. का0 रोहित कुमार



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 23.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस द्वारा हत्या में शामिल 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आलाकत्ल कुल्हाड़ी व लाठी बरामद



आज दिनांक 23.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० अजनर श्याम प्रताप पेटल मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत **मु.अ.स. 73/2021 धारा 147/148/149/323/504/302 भादवि** में नामित/वाँछित 02 नफर अभियुक्त **1. तोड़न**

सिंह उम्र 30 वर्ष **2. वीर सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्रगण शम्भूयाल नि० ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा एवं मु.अ.स. 74/2021 धारा 302 भादवि** में नामित/वाँछित 02 नफर अभियुक्त **1. आनन्द उम्र 19 वर्ष 2. अंकुश उम्र 21 वर्ष पुत्रगण जय हिन्द राजपूत निवासीगण ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार कर बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

बरामदगी:- 1. कुल्हाड़ी- 02 अदद 2. लाठी- 06 अदद

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. तोड़न सिंह उम्र 30 वर्ष
2. वीर सिंह उम्र 32 वर्ष
पुत्रगण शम्भूयाल नि० ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा।
3. आनन्द उम्र 19 वर्ष
4. अंकुश उम्र 21 वर्ष
पुत्रगण जय हिन्द राजपूत निवासीगण ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री श्याम प्रताप पटेल (प्र०नि० अजनर)
2. उ.नि. श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा
3. का० नरेन्द्र बाबू
4. का० जितेन्द्र
5. चालक का० बलजीत सिंह



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 23.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



02 गज की दूरी मास्क है जरूरी-एण्टी रोमियो टीम



हाथों को सैनिटाइजर व साबुन से धोने को कहा गया । साथ ही 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई । भ्रमण के दौरान कुछ कोचिंग सेन्टर खुले मिले, जिन्हे टीम द्वारा अग्रिम आदेश तक बन्द रखने की सख्त हिदायत दी गई एवं असहाय लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया ।



आज दिनांक 23.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्रभारी एण्टी रोमियो टीम निरीक्षक रचना सिंह मय टीम द्वारा नगर के मुख्य बाजार आदि जगहो पर जाकर बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारो की जानकारी देते हुए आत्म-निर्भर, स्वावलंबन के प्रति जागरुक किया गया । कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीम द्वारा लोगों को कोविड-19 के प्रति किया जागरुक किया गया । उन्हे घरों से बाहर निकलते समय **मास्क लगाने एवं**





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 23.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



फायर सर्विस टीम द्वारा लगातार जारी है, सैनेटाइजेशन का कार्य

आज दिनांक 23.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं फायर सर्विस टीम द्वारा फायर सर्विस मुख्यालय के आदेशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्न जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया।

1. पुलिस लाइन
2. थाना कुलपहाड़
3. थाना अजनर
4. चौकी बेलाताल
5. रोडवेज बस स्टेशन एवं वर्कशॉप
6. उप कारागार
7. ज्ञानस्थली स्कूल
8. कलेक्ट्रेट भवन
9. डूडा कार्यालय आदि को सैनिटाइज किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 23.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालो पर हो सख्त कार्यवाही- एसपी



आज दिनांक 23.04.2021 को उ0प्र0 शासन द्वारा लागू किये गये **वीकेंड लॉकडाउन (शुक्रवार रात्रि 08.00 बजे से सोमवार प्रातः 07.00 बजे तक)** का जनपद में पालन कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय थाना कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर के आल्हा चौक, बस-स्टैण्ड, परमानन्द तिराहा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके दुकानदारों एवं आमजन को **वीकेंड लॉकडाउन** का पालन करने की हिदायत दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा वीकेंड

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस बीच आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी।

सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय थाना चरखारी पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल गस्त करके आम जनता व दुकानदारो को **वीकेंड लॉकडाउन** का पालन करवाया गया एवं लोगो को कोविड-19 के प्रति जागरुक किया गया। जनपद के थानो द्वारा पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को उक्त निर्देशों से अवगत कराया गया एवं कोरोना संक्रमण के प्रति जागरुक करते हुए **“02 गज की दूरी मास्क है जरूरी”** का संदेश दिया गया एवं बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। समय-समय पर अपने हाथों को साबुन/सैनिटाइजर से धोने की अपील की गई। नियमो उल्लंघन करने पर **10 ई-चालान, 15 व्यक्तियों से 2500/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।**





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 23.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



खरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया वारन्टी अभियुक्त



आज दिनांक 23.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवारस्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० थाना खरेला श्री विजय कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने मा० न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन चरखारी द्वारा जारी प्रोसेस एनबीडब्ल्यू अन्तर्गत **एसटी नं० 440/18 अ०सं० 350/18, मु०अ०सं० 350/15 धारा 468/471/419/420/467 भादवि** से सम्बन्धित अभियुक्त पुष्पराज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र राघवेन्द्र सिंह नि० कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा को गिरफ्तार कर किया गया। अभियुक्त को बहवाले रपट नं० 25 समय 20.48 बजे मय एनबीडब्ल्यू के मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

पुष्पराज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र राघवेन्द्र सिंह नि० कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-

1. उ०नि० उमेश कुमार
2. का० हवन कुमार